

# उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक, खूँटी

(मनरेगा कोषांग)

## मनरेगा अन्तर्गत वेंडर निबंधन संबंधी सूचना

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 2558 दिनांक 13.09.2017, के आलोक में मनरेगा योजनाओं में सामग्री का आपूर्ति **GSTIN No** पंजीकृत/निबंधित एवं मनरेगा सॉफ्ट मे निबंधित वेंडर से ही क्रय करते हुए भुगतान किया जाना है। खूँटी जिला अन्तर्गत वैसे दुकानदार/थोक विक्रेता जो मनरेगा योजनाओं में सामग्री आपूर्ति करने हेतु वेंडर बनने के इच्छुक हैं उनसे मनरेगा सॉफ्ट में निबंधन हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

- वैसे वेंडर जो पूर्व में बिना **GSTIN No** के मनरेगा अन्तर्गत निबंधित हैं वे लोग भी पुनः पंजीकृत कराने हेतु आवेदन समर्पित करेंगे अन्यथा उनका पंजीकरण स्वतः रद्द हो जाएगी।
- आवेदन-पत्र का प्रारूप सहित अन्य विस्तृत जानकारी खूँटी जिले के वेबसाईट "**www.khunti.nic.in**" पर तथा उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, खूँटी के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।
- आवेदन-पत्र उप विकास आयुक्त-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक का कार्यालय, खूँटी को दिनांक **22.09.2018** को अपराह्न **5.00 बजे** तक दिया जा सकता है।

ह०/—

उप विकास आयुक्त,

—सह—

जिला कार्यक्रम समन्वयक,

खूँटी।